

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 730वीं बैठक दिनांक 18/03/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री ए.ए.मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9691/2023 Shri Gajraj Prajapati, Adhyaksh, M/s Harsh Samajotthan Samiti R/o Gram & Post-Khaddi Gaurihar, District-Chhatarpur (MP)-471515, Prior Environment Clearance for Jujharnagar Stone Quarry in an area of 3.615 ha. (150000 Cum per annum) (Khasra No. 2589P), Village-Jujharnagar, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP) (EIA)

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गजराज प्रजापति, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri GAJRAJ PRAJAPATI, Adhyaksh, M/s Harsh Samajotthan Samiti Gaurihar, Gram & Post Khaddi Gaurihar, District- Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2589 (P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.615 hectare.
स्थल	Village. Jujharnagar, Tehsil- Gaurihar, District- Chhatarpur (M.P.).	

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 13483-504 दिनांक 30/09/22 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
टॉर	सेक की 630वीं बैठक दिनांक 17/03/33 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 147 दिनांक 18/04/23 के द्वारा पत्थर-1,50,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-1,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-1,50,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 05 दिनांक 02/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.23 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 05 दिनांक 02/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 05 दिनांक 02/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम परिषद् बारीगढ़ जिला छतरपुर के प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 30/08/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र कहीं कहीं पर पेड़ों से अच्छादित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में बड़े और छोटे पेड़ों को मिलाकर लगभग 250 वृक्ष करधई के है, इन पेड़ों में से लगभग 170 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है, जिसकी एवज में 1700 पेड़ अतिरिक्त लगाये जावेंगे।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पहाड पर स्थित है, जिसकी समीपस्थ स्थल से ऊँचाई लगभग 18 मी. है ।

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

	उत्तर पश्चिम दिशा— कच्चे घर लगभग 220 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल पत्र क्रमांक 130 दिनांक 19/01/23 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र पहाड पर स्थित है, जिसकी समीपस्थ स्थल से ऊँचाई लगभग 18 मी. है अतएव परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र के अंदर, दक्षिण पश्चिम एवं पूर्व क्षेत्र में **steep slope** वाला क्षेत्र जो पेडो से भी अच्छादित है इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडा जावें। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गैर खनन क्षेत्र छोडने के फलस्वरूप लगभग 2.2 हे. खनन योग्य क्षेत्र शेष बचता है। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन माईनिंग एरिया में करधई के 2500 पौधा रोपण कार्य प्रथम वर्ष में ही संपन्न कराया जायें, यदि पौधा रोपण प्रथम वर्ष में नहीं करते है तो माईनिंग अफसर इनके खनन कार्य को वृक्षारोपण पूर्ण न होने तक प्रतिबंधित करेगें तथा कोई पिट पास जारी नहीं किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **Stone -150000 Cum per annum.**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 22.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.76 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन माईनिंग एरिया में करधई के 2500 पौधा रोपण कार्य प्रथम वर्ष में ही संपन्न कराया जायें, यदि पौधा रोपण प्रथम वर्ष में नहीं करते है तो माईनिंग अफसर इनके खनन कार्य को वृक्षारोपण पूर्ण न होने तक प्रतिबंधित करेगें तथा कोई पिट पास जारी नहीं किया जावेगा।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

- अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
5. लीज क्षेत्र से खेत समीपस्थ है, अतः वहाँ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन की दिशा में समय-समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पंचायत ग्राम जुझारनगर में ग्राम में स्थित शासकीय विद्यालय व आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसरंचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भूप्रवेश के 03 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	1,40,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6150 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियों	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन व गैर खनन क्षेत्र मेंके अंतर्गत	करधई आदि	2500
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण ऊर्चाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्बइत्यादि।	180
3	ग्रामबारीगढ़ में स्थित स्कूल में वृक्षारोपण (ट्री गार्ड सहित)	पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि	50
4	ग्राम बितालीपुरा में स्थित स्कूल में वृक्षारोपण (ट्री गार्ड सहित)	पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि	50
5	पास के गांव में पौधे का वितरण	आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	3370

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No 9207/22 Shri Manish Purohit S/o Shri Balkrishna Purohit, Bhagat Singh Ward, Dist. Sagar, MP. Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 14.40 ha. (4500 Cum per annum) (Khasra No. 570), Village - Bagrohi, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar (MP) (EIA)

प्रस्तावित ग्रेनाइट खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है। इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक ने मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इण्डस्ट्रीयल इंटरनेशनल, जयपुर (राजस्थान) के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. को नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा आज दिनांक 18/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Manish Purohit] Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Dr. Manish purohit, Project proponent, BHAGATSINGH WARD SAGAR, JILA SAGAR (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	570 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	14.4 hectare.
स्थल	ग्राम BAGROHI तसहील Shahgarh जिला Sagar (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 10149-50 दिनांक 26/07/19 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	फार्म-1 अनुसार ब्लास्टिंग लागू नहीं ।	
टॉर	सेक की 577वीं बैठक दिनांक 11/06/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 876 दिनांक 28/06/22 के द्वारा ग्रेनाइट-4500 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाइट-4500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है ।	

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 11/04/19 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.40 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 11/04/19 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 11/04/19 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बगरोही जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted - जानकारी अप्राप्त
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- जानकारी अप्राप्त दक्षिण दिशा- पूर्व दिशा- पश्चिम दिशा-
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 139 दिनांक 21/01/22 अनुसार उक्त खदान जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
जन सुनवाई समिति समिति की चर्चा शेष।	प्रस्तावित खदान की दिनांक को संपन्नआपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

	गया है ।
--	----------

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो के.एम.एल इमेज प्रदर्शित की गई उसके आक्षांश-देशांश का मिलान माईनिंग प्लान में प्रदर्शित आक्षांश-देशांश से कुछ अंतर पाया गया , अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि माईनिंग प्लान में दिये गये आक्षांश-देशांश पर आधारित के.एम.एल इमेज प्रस्तुत करे तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

3. Case No 9208/22 Shri Mukul Purohit S/o Shri Balkrishna Purohit, Bhagat Singh Ward, Dist. Sagar, MP. Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 10.0 ha. (2400 Cum per annum) (Khasra No. 312, 315, 323), Village - Shahgarh, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar (MP) (EIA)

प्रस्तावित ग्रेनाइट खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है । इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक ने मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इण्डस्ट्रीयल इंटरनेशनल, जयपुर (राजस्थान) के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. को नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा आज दिनांक 18/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Mukul Purohit, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Mukul Purohit, Project proponent, BHAGAT SINGH WARD SAGAR DIST-SAGAR (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	312, 315, 323 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	10.00 hectare.
स्थल	ग्राम SHAHGARH तसहील Shahgarh जिला Sagar (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1040 दिनांक 11/07/19 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	फार्म-1 अनुसार ब्लास्टिंग लागू नहीं ।	
टॉर	सेक की 577वीं बैठक दिनांक 11/06/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 894 दिनांक 28/06/22 के द्वारा ग्रेनाइट-4500 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट-4500 हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार ग्रेनाइट-4500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1040 दिनांक 11/04/19 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.68 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1040 दिनांक 11/04/19 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1040 दिनांक 11/04/19 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पलकाटोर जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15/08/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- जानकारी अप्राप्त दक्षिण दिशा- पूर्व दिशा- पश्चिम दिशा-
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 140 दिनांक 21/01/22 अनुसार उक्त खदान जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
जन सुनवाई समिति की चर्चा	प्रस्तावित खदान की दिनांक को संपन्न

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

शेष।आपत्तियों / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
-------------	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो के.एम.एल इमेज प्रदर्शित की गई उसके आक्षांश-देशांश का मिलान माईनिंग प्लान में प्रदर्शित आक्षांश-देशांश से कुछ अंतर पाया गया है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि माईनिंग प्लान में दिये गये आक्षांश-देशांश पर आधारित के.एम.एल इमेज प्रस्तुत करे एवं आवश्यकता पडने पर तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

4. Case No 10983/2023 Shri Rajndra Jat, R/o Hanuman Colony Guna District Guna , MADHYA PRADESH, 473001.Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. 22230 cum per year) (Khasra No. 1018/6), Village-Banjaranggarh Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गतडिया द्वाराजारीपूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमेंआज दिनांक 18/03/2024 कोपरियोजनाप्रस्तावकश्रीराजेन्द्रजाट एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकारश्रीरामराघव, मेसर्सग्रीनसर्कलआई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थितहुए और उनके द्वारासमिति के समक्ष प्रस्तुतीकरणकियागया।

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजनाप्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Rajndra Jat, R/o Hanuman Colony Guna District Guna , MADHYA PRADESH, 473001.Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. 22230 cum per year) (Khasra No. 1018/6), Village-Banjaranggarh Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [432588] [DEIAA]	
परियोजना का खसरानं. / लीज क्षेत्रफल	खसरानं.-1018/6,	एरिया-4.00ha., शासकीयभूमि
परियोजनास्थल	Village-Banjaranggarh Tehsil-Guna, District-Guna (MP)	
Description of Project	It is a stone quarry with a production capacity of 22,230 cubic meters per year of Gitti having a lease area of 4.00 hectares, previously EC was issued by DEIAA Guna at Khasra no. 1018/6 Village Bajrangarh, Tehsil Guna, District-Guna (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.	
सैंधातिकसहमति	पत्र क्र०. 3082दिनांक26 / 02 / 2018.	
परियोजना की श्रेणी	बी-1.टॉरप्रस्तावित।	
खनन कार्यब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	<ul style="list-style-type: none"> Controlled blasting techniques, Muffle Blasting(As per Parivesh Portal up-loaded information). 	
डिया द्वाराजारीई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	EC was issued by DEIAA Guna Vide letter No. 34 dated 15/12/2017.. (Capacity - 22,230 M ³ Year).	

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

उत्पादन क्षमता	● स्टोन (गिट्टी)–22,230घनमीटर/वर्ष ।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 562 दिनांक 19/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 562 दिनांक 19/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 562 दिनांक 19/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ➤ 50 मी. की दूरी पर एक नाला स्थित है।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत / नगर परिषद्	ग्रामपंचायत—बजरंगढ़, जिला— गुना का ठहराव प्रस्ताव क्र. 0.22 दिनांक 16/08/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed - No
जल / वायु सम्मति जानकारी	AW-100302, Date of consent issued 22/04/2022 Valid up to 28-02-2026.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 30-31 के सरल क्रमांक— 19 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे हों तो अतः उनकी प्रजाति, ऊँचाई, गirth के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप है अतः 25 मी. का सेटबैक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये एवं कृषि उपज की सुरक्षा के उपाय बताते हुए ई.एम.पी में बजट देते हुए प्रस्तुत करे ।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
29. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
- 30.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

5. Case No 10984/2023 M/s OM Crusher Stone, Partner Shri Ved Prakash Sharma, R/o Gautam Vihar Colony, District Shivpuri , MADHYA PRADESH, 473551. Prior Environment Clearance for Stone and Murum Quarry in an area of 2.00 ha.(Stone 30500 and Murum 2550 cum per year) (Khasra No. 1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3), Village-Bamor, Tehsil-Badarwas, District-Shivpuri (MP) [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s OM Crusher Stone, Partner Shri Ved Prakash Sharma एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीरामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	M/s OM Crusher Stone, Partner Shri Ved Prakash Sharma, R/o Gautam Vihar Colony, District Shivpuri, (M.P.) - 473551, Prior Environment Clearance for Stone and Murum Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone - 30,500 and Murum - 2,550 cum per year) (Khasra No. - 1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3), Village-Bamor, Tehsil-Badarwas, District-Shivpuri (MP) [453822] [DEIAA].

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

परियोजना का खसरा नं./ लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.—1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3,	एरिया—2.00ha., निजीभूमि
परियोजनास्थल	Village-Bamor, Tehsil-Badarwas, District-Shivpuri (M.P.).	
Description of Project	It is a Stone quarry with a Production Capacity of 30,500 Cubic Meter per year Gitti& 2,550 Cubic meter per year Murrum having a lease area of 2.00 hectares , previously EC was issued by DEIAA Shivpuri at Khasra No. 1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3 Village - Bamor, Tehsil - Badarwas, District - Shivpuri (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.	
सैधातिकसहमति	पत्र क्र0. 846दिनांक27 / 07 / 2016.	
परियोजना की श्रेणी	बी—1.टॉरप्रस्तावित ।	
खनन कार्यब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	<ul style="list-style-type: none"> Controlled blasting techniques, Muffle Blasting(As per Parivesh Portal up-loaded information). 	
डिया द्वाराजारीई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	EC was issued by DEIAA Guna Vide letter No. 629dated23/06/2016.. (Stone Mining - 30,500 M ³ Year).	
उत्पादन क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> Stone – 30,500 Cum per yearand Murum – 2,550 Cum per year. 	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण ।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाशिवपुरीके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक1279दिनांक27 / 10 / 2023अनुसार 500 मीटर की परिधि में05अन्यखदानेस्वीकृतहै, जिनकोमिलाकरकुलरकबा17.00हे. होताहै, अतः प्रकरणबी—1 श्रेणी के अंतर्गतआताहै ।	
परियोजना के संबंध मेंडीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाशिवपुरीके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक1279 दिनांक 27 / 10 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता एवं 250 मीटरमेंवन क्षेत्र स्थितनहींहै ।	
परियोजना के संबंध राजस्वजानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाशिवपुरीके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक1279 दिनांक 27 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, नालाइत्यादिस्थितनहींहै ।	
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत / नगरपरिषद्	ग्राम पंचायत—बामौर, जिला—शिवपुरीका ठहरावप्रस्तावक्र0. 02दिनांक29 / 06 / 2015 द्वाराअनापत्तिपत्र जारीकियागयाहै ।	
प्रस्तावितस्थलपर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	Tree Existed - No	
जल / वायुसम्मतिजानकारी	AW-102539, Date of Consent issued 19/06/2022. Valid up to 29-08-2026.	
जिलासर्वेक्षणरिपोर्ट की स्थिति	परियोजनाप्रस्तावक ने बतायाकि इस खदान का विवरणजिले की अनुमोदितनवीनजिलासर्वेक्षणरिपोर्ट के पेज नं.—13 के सरलक्रमांक—09परदर्जहै ।	

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊंचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप है अतः 25 मी. का सेटबैक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये एवं कृषि उपज की सुरक्षा के उपाय बताते हुए ई.एम.पी में बजट देते हुए प्रस्तुत करे ।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये ।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे ।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति ।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान ।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव ।

- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

6. **Case No 10985/2023 Shri Puneet Agrawal R/o Purani Galla Mandi, Guna District Guna , MADHYA PRADESH, 473001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha.(Stone 39900 cum per year) (Khasra No. 2/1 Min-1), Village-Piprada Khurd, Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [433584] [DEIAA] (TOR).**

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गतडिया द्वाराजारीपूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Puneet Agrawal** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **श्रीरामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात)** उपस्थितहुए और उनके द्वारासमिति के समक्ष प्रस्तुतीकरणकियागया ।

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजनाप्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Puneet Agrawal R/o Purani Galla Mandi, Guna District Guna , MADHYA PRADESH, 473001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha.(Stone - 39,900 cum per year) (Khasra No. - 2/1 Min-1), Village-Piprada Khurd, Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [433584] [DEIAA]	
परियोजना का खसरांनं. / लीज क्षेत्रफल	खसरांनं.-2/1 Min-1,	एरिया-4.00ha., शासकीयभूमि
परियोजनास्थल	Village-Piprada Khurd, Tehsil-Guna, District-Guna (M.P.).	
Description of Project	<i>It is a stone quarry with a production capacity of 39900 cubic meter per year having a lease area of 4.00 hectares , previously EC was issued by DEIAA Guna at Khasra No. 2/1 min-1 village Piproda Khurd Tehsil Guna, District Guna(M.P.). Now we are applying for fresh EC in SEIAA as per SEIAA policy decision taken in SEIAA agenda 766th Dated 11/01/2023.</i>	
सैधातिकसहमति	पत्र क्र0. 3216(ए)दिनांक09 / 04 / 2018.	
परियोजना की श्रेणी	बी-1.टॉरप्रस्तावित ।	
खनन कार्यब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	<ul style="list-style-type: none"> Controlled blasting techniques, Muffle Blasting(As per Parivesh Portal up-loaded information). 	
डिया द्वाराजारीई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	EC was issued by DEIAA Guna Vide letter No. 1021 dated26/05/2016.. (Capacity - 40,000 M ³ Year).	
उत्पादन क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> स्टोन (गिट्टी)-39,900घनमीटर/वर्ष । 	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण ।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलागुनाके एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक601दिनांक26 / 10 / 2023अनुसार 500 मीटर की परिधि में05अन्यखदानेस्वीकृतहै, जिनकोमिलाकरकुलरकबा20.00हे. होताहै, अतः प्रकरणबी-1 श्रेणी के अंतर्गतआताहै ।	
परियोजना के संबंध मेंडीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलागुनाके एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक601 दिनांक 26 / 10 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता एवं 250 मीटरमेंवन क्षेत्र स्थितनहींहै ।	
परियोजना के संबंध राजस्वजानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलागुनाके एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक601 दिनांक 26 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, नालाइत्यादिस्थितनहींहै । ➤ 350 मी. की दूरीपरनदीहै ।	

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

ग्रामसभा / नगरपरिषद्	ग्रामपंचायत / ग्रामपंचायत-पिपरोदा खुर्द, जिला-गुनाका ठहरावप्रस्तावक0. 12दिनांक07 / 06 / 2023 द्वाराअनापत्तिपत्र जारीकियागयाहै।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसारस्थिति (यदि सेटबैकआवश्यक हो)	उत्तरदिशा- स्टाप डेम लगभग 344 मी.
	दक्षिणदिशा-
	पूर्वदिशा-
	पश्चिमदिशा- जल निकाय क्षेत्र लगभग 330 मी.
जल / वायुसम्पत्तिजानकारी	AW-105803, Date of Consent issued 06/10/2022. Valid up to 30/04/2027.
जिलासर्वेक्षणरिपोर्ट की स्थिति	परियोजनाप्रस्तावक ने बतायाकि इस खदान का विवरणजिले की अनुमोदितनवीनजिलासर्वेक्षणरिपोर्ट के पेज नं.- 26-27 के सरलक्रमांक- 07 परदर्जहै।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
 18. Carbon footprint.
 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
 20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊँचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
 21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप है अतः 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये एवं कृषि उपज की सुरक्षा के उपाय बताते हुए ई.एम.पी में बजट देते हुए प्रस्तुत करे ।
 23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
 24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
 25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
 26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
 28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

7. Case No 10986/2023 Shri Prabal Paratp Raghuwanshi, R/o Village Karaiya Rai, Tehsil Ashoknagar, District Ashoknagar , MADHYA PRADESH, 473331, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.80 ha.(Stone 10830 cum per year) (Khasra No.26, 16/2), Village-Bansara, Tehsil-Shadhara, District-Ashoknagar (MP) [451877] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/2024 का परियोजना प्रस्तावक Shri Prabal Paratp Raghuwanshi, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi, Director, M/s AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Prabal Paratp Raghuwanshi, R/o Village Karaiya Rai, Tehsil Ashoknagar, District Ashoknagar, (M.P.)- 473331, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.80 ha.(Stone – 10,830 cum per year) (Khasra No.- 26, 16/2), Village-Bansara, Tehsil-Shadhara, District-Ashoknagar (MP) [451877]	
परियोजना का खसरानं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-26, 16/2,	एरिया-2.80ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village-Bansara, Tehsil-Shadhara, District-Ashoknagar (M.P.).	
Description of Project	This is a stone quarry. This Case belonging to B1 category due to the proposed excavation area is Cluster of Mines In these 5 hectares. We are using open cast semi mechanized mining method of production.	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 686 दिनांक 01/10/2018.	
परियोजना की श्रेणी	बी-1. टॉर प्रस्तावित ।	
खनन कार्यब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	<ul style="list-style-type: none"> Blasting will be done by licensed contractor. The lessee has been obtain necessary permissions from DGMS before blasting & inform DM and DGMS (As per Parivesh Portal up-loaded information). 	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	EC was issued by DEIAA Ahoknagar Vide letter No. 124 dated 26/09/2018. . (Capacity - 10,830 M ³ Year).	
उत्पादन क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> Stone – 10,830 Cum per year. 	

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अशोकनगरके एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 675 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 21.224 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगरके एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 675 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगरके एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक 675 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत / नगरपरिषद्	ग्रामपंचायत-भैंसरवास, जिला-अशोकनगरका ठहराव प्रस्ताव क्र. 0.34 दिनांक 20/10/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेट बैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा-
	दक्षिण पूर्व दिशा- पक्का रोड लगभग 440 मी.
	पूर्व दिशा- पक्का रोड लगभग 446 मी.
	पश्चिम दिशा-
जल / वायु सम्मति जानकारी	--
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
25. अनुमोदित मार्किंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
29. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।

- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

8. Case No 10987/2023 Shri Omprakash Ahirwar R/o H.No. 1423, Tilhari, Near Railway Station, Gwarighat, District Jabalpur , MADHYA PRADESH, 482001. Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 4.00 ha.(Murum 16625 cum per year) (Khasra No.226), Village-Jamunia, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) [421074] (B2)

प्रस्तावित मुरुम खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Omprakash Ahirwar एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री नरेश चंद्र देसाई, एसोसिएट, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक	Shri OM AHIRWAR, House No. - 1423 Tilhari, Near Railway Station

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

का नाम व पता	Gwarighat, Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	226 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	ग्राम JAMUNIA तसहील Jabalpur जिला Jabalpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 2152 दिनांक 08/09/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम-16,625 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार - मुरम-16,625 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3770 दिनांक 10/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3770 दिनांक 10/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3770 दिनांक 10/01/23 अनुसार 140 मीटर पर मानव बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जमुनिया जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक 04/10/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- कच्चा रोड लगभग 82 मी. एवं उत्तर पश्चिम दिशा- आबादी लगभग 152 मी. दक्षिण दिशा- प्राकृतिक नाला लगभग 60मी. एवं दक्षिण पश्चिम दिशा- पक्का रोड लगभग 85 मी.	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-50 के सरल क्रमांक-98 पर दर्ज है ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनरीक्षित एकल प्रमाण-पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1881 दिनांक 18/03/2024 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई कार्यशील खदान संचालित नहीं है । इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरम-16,625 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.48 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
आंगनवाड़ी कर्मचारियों के अनुरोध के अनुसार Jamunia की आंगनवाड़ी के लिए स्कूल डेस्क व कुर्सी का सेट 5	20,000.00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3950 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 65)सेमी x 65सेमी (।	खमार, सिस्सू, अमलतास, खिरनी, नीम, कालासिरिस, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी।	75
2	परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण (मीटर 01 पौधों की न्यूनतम ऊंचाई)।	अमलतास, खिरनी, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री गार्ड के साथ-	625
	ग्राम Jamunia के स्कूल, ग्राम पंचायत भवन आंगनवाड़ी के प्रांगण एवं बंजर शासकीय भूमि में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	1250
	Jamunia ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	2000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No 10988/2023 Shri Ashok Jain R/o Hatpura, Tehsil Agar, District Agar Malwa, MADHYA PRADESH, 465441, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(Stone 10000 cum per year) (Khasra No.140), Village-Badgon, Tehsil-Agar, District-Agar Malwa (MP) [435930] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Ashok Jain online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri ASHOK JAIN, Lessee, R/o- Hatpura, Tehsil- Agar, District- Agar Malwa, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	140 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Badgon, Tehsil Agar, District Agar Malwa (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र पृ. क्रमांक 769 दिनांक 16/07/21 के द्वारा लीज अंतरित ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया आगर मालवा के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 06/10/18 के द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 868 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 868 दिनांक 27/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर	

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

	की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 868 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झलारा जिला आगर मालवा के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य की अनुशंसा की गई है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing - No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा- शेड लगभग 340 मी. पश्चिम दिशा- पक्का रोड - लगभग 220 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-13 के सरल क्रमांक-29 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को प्रस्तुतीकरण के प्रारंभ में अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में श्री मानोज परमार के नाम से पत्र क्रमांक 36 दिनांक 06/10/18 द्वारा डिया से ई.सी. जारी हुई थी। यह खदान नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक जैन को अंतरण (अंतरण आदेश 769 दिनांक 16/07/2021 हुई है, अतः नवीन परियोजना प्रस्तावक के लिये यह नवीन प्रकरण है। अंतरण आदेश में शर्तों एवं राशि का उल्लेख है तथा एग्रीमेन्ट पृथक से नहीं दर्शाया गया है अतः पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा इन शर्तों के साथ अनुशंसा कि जाती है के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया -

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। एवं बेरियर जोन खूदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .70 पेड़ लगाये गये एवं 150 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत फोटोग्राफ्स किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—10,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.33 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
ग्राम बड़गोन में स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु रोगी कल्याण मंडल में उल्लेखित राशी भूप्रवेश के 03 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	40,000/-

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	20,000/-
--	-----------------

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम , खमेर , सिस्सू , करंज, चिरोल , पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	590
2	परिवहनमार्गमें	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	170
3	ग्रामपंचायतबडगोनमें वृक्षारोपण	पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	50
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1590

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

10. **Case No 10989/2023 Shri Mohit Parihar, R/o House No. 516, Village Amkul, Tehsil Nagod, District Satna , MADHYA PRADESH, 485551, Prior Environment Clearance**

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

for Flag Stone Quarry in an area of 1.912 ha.(5000 cum per year) (Khasra No.91/4), Village-Bhuruhara, Tehsil-Unchahara, District-Satna (MP) [440514] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित **Flag Stone** खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/24 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Mohit Parihar online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MOHIT PARIHAR, lease owner, Village- Amkui, House No. 516, Tehsil- Nagod, Satna, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	91/4 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड, परियोजना प्रस्तावक को भू-स्वामी की सहमति प्राप्त है)	1.912 hectare.
स्थल	Village- Bhuruhara, Tehsil-Unchehara, District. - Satna, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 17546-48 दिनांक 07/10/15 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । (पेज क्र. 11)	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सतना के पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 24/05/16 के द्वारा पत्थर-5,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार फ्लैग स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2176 दिनांक 07/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2176 दिनांक 07/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2176 दिनांक 07/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय	

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

	महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव दिनांक 18/08/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ हैं जो नहीं काटे जायेंगे।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर से दक्षिण दिशा में प्राकृतिक नाला होने की वजह से 50 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया है।
	दक्षिण पश्चिम दिशा – आबादी 120 मी पर है पश्चिम दिशा– कच्ची रोड लगभग 21 मी., 50 मी का क्षेत्र सेटबैक प्रस्तावित किया है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-84 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी का पत्र क्रमांक 980 दिनांक 23/05/2023 के माध्यम से लीज क्षेत्र के 18 कार्डिनेटस प्रस्तुत किये गये। क्योंकि माईनिंग प्लान में दिये गये कार्डिनेटस से निर्मित गूगल इमेज वास्तविक स्थिति से अलग थी।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	फेन्सिंग कार्य 60 प्रतिशत हुआ है, 40 प्रतिशत अपूर्ण व्हिडियों में देखा गया अतः इसको पूर्ण किया जायें
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में भी कुछ जगह पर खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	कार्य अपूर्ण,
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में	अवलोकित नहीं हुई।

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

बैंचेस की स्थिति।	
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
कोई अन्य शर्त	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में 150 पौधे लगाये व 150 बांटे गये

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 04.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.38 लाख प्रति वर्ष ।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
4. गारलेण्ड ड्रेन में कुछ-कुछ दूरी पर जो गडडे खूदे हुये है अतः उसमें बरगद के बड़े प्रजाति के वृक्ष लगा दिये जाये एवं नीम के बीज की सीड-सोइंग करा दी जावे।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
7. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
8. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
ग्राम भुरुहरा के ग्रामवासियों के लिए चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में योगदान राशि जमा किया जायेगा।	50,000 /—

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	इमली, कटहल, आम, अमरुद, बेल, जामुन मुनगा एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातिया।	2000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF & CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

11. **Case No 10990/2023 Shri Manohar Kumawat, R/o H.No. 144, Wad No. 5, Krishan Mandir Ke pass, Kumavat Mohalla Poplkhunta, District Ratlam , MADHYA PRADESH, 457001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.50 ha.(10476 cum per year) (Khasra No.172), Village-Sarwani Khurd, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) [447246] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित Stone . खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Manohar Kumawat online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MANOHAR KUMAWAT, lease owner, Makan N-144, Ward N-05, Shri krashn Mandir ke pass, Kumavat Mohalla, Popalkhunta, district-Ratlam (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	172 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.50 hectare.
स्थल	Village - Sarwani khurd, Tehsil-& District –Ratlam (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1268 दिनांक 16/02/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 1604 दिनांक 29/06/26 के द्वारा पत्थर-पत्थर-10,476 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,476 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-10,476 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5246 दिनांक 07/12/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.95 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5246 दिनांक 07/12/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5246 दिनांक 07/12/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की	ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 16/08/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

अनापत्ति	
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing - No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा— नदी लगभग 270 मी.
	पूर्व दिशा— प्राकृतिक नाला लगभग 86 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-14 के सरल क्रमांक-85 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
 18. Carbon footprint.
 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
 20. Surface runoff study.
 21. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
 22. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 23. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
 24. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
 25. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
 26. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति।
 27. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 28. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
 29. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
 30. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
 31. लीज क्षेत्र पौधा रोपड संभव नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक जगह पर विधि वत् अनुमति ले कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

- Note:
1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

12. Case No 10991/2023 Shri Narayan Singh, R/o Gram Post Nainawad, Gram Yaswant Nagar, Tehsil Tarana, District Ujjain , MADHYA PRADESH, 456001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(3800 cum per year) (Khasra No.141P), Village-Yashwantnagar, Tehsil-Tarana, District-Ujjain (MP) [449769] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित **Stone** खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/24 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Narayan Singh online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri NARAYAN SINGH, Owner, Gram post Nainawad Gram Yashwant Nagar Tehsil Tarana District Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	141 (Part) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम Yeshwantnagar तसहील Tarana जिला Ujjain (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 3061 दिनांक 07/03/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक निरंक दिनांक निरंक के द्वारा पत्थर-..... घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-3800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-3800 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

परिधि में अन्य खदानें	10240 दिनांक 21/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10240 दिनांक 21/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10240 दिनांक 21/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लिम्बोदा तराना जिला उज्जैन के ठहराव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - Yes
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- कुछ मकान लगभग 44 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे हों तो अतः उनकी प्रजाति, ऊँचाई, गirth के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. लीज के समीप में मकान दिख रहे हैं अतः इस संबंध में पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
23. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
24. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

25. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
26. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति।
27. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
28. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
29. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
30. लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में कुछ मकान स्थित है अतः सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर इन मकानों की वस्तुस्थिति प्रस्तुत करे

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

13. **Case No 10992/2023 Shri Sayyed Afsar Ali, R/o Wahid Villa, Wahid Nagar Old by pass, District Ratlam , MADHYA PRADESH, 457001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha.(11640 cum per year) (Khasra No. 3/1/1/1), Village-Sanwaliyarundi, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) [450210] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित Stone खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Sayyed Afsar Ali, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SAYYED ALI, Lessee, R/o- wahid villa, wahid nagar old by pass District- Ratlam(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3/2, (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) ओल्ड खसरा नं. 3/1/1	4.00 hectare.
स्थल	Village -Sawaliyarundi, Tehsil- Ratlam & District –Ratlam (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक एन 844-46 दिनांक 22/03/21 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 276 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर-11,640 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-11,640 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-11,640 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2517 दिनांक 16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 29.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2517 दिनांक 16/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2517 दिनांक 16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत राजपुरा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 16/04/11 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थत पर	Tree Existed- No	

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- नदी / नाला लगभग 90 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-42 के सरल क्रमांक-63 पर दर्ज है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

प्रस्तावित खदान की ड्रिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

- e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
 18. Carbon footprint.
 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
 20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊंचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
 21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
 23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
 24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
 25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
 26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
 28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
 29. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
 30. लीज क्षेत्र पौधा रोपड संभव नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक जगह पर विधिवत् अनुमति ले कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
 31. समीपस्थ खादानो के भूस्वामि कौन है यदि भूस्वामी परिवार के है तो स्पष्ट करें उक्त जानकारी खनिज अधिकारी से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत करें।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

14. Case No 10993/2023 Shri Brijendra Dikshit, R/o Ward no. 37, Shanti Nagar Colony, Purana Bijawar Naka, District Chhatarpur , MADHYA PRADESH, 471001. Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 1.00 ha.(16000 cum per year) (Khasra No. 656 P), Village-Kaidi Tehsil-chhatarpur District-Chhatarpur (MP) [452813] (B2)

प्रस्तावित **Murum** खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/24 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Brijendra Dikshit** online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri BRIJENDRA DIKHIT, Lessee, Ward no 37, Shanti Nagar Colony, Purana Bijawar Naka, Chhatarpur Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	656(P), (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village- Kaidi, Tehsil - Chhatarpur, District – Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 978 दिनांक 10/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम-16,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरम-16,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 15/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

खदानें	कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 15/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 15/09/23 अनुसार 350 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट एवं 500 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कैंडी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 25/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	कुल 10 पेड है जिसमें से 06 बेरियर जोन में है तथा कोई भी पेड काटा नहीं जावेगा।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पहाड पर स्थित है। उत्तर दिशा- सेड लगभग 75 मी. इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने 25 मी. सेटबैक प्रस्तावित किया है
	पूर्व दिशा- हाईवे लगभग 130 मी. पर
	पश्चिम दिशा- मकान लगभग 70 मी. इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने 30 मी. सेटबैक प्रस्तावित किया है आबादी लगभग 356 मी. पर
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2684 दिनांक 27/09/23 अनुसार उक्त खदान अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र पहाड पर स्थित है एवं पहाडी क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडा गया है(लगभग 0.24 है.) एवं खदान क्षेत्र में 10 पेड लगे हैं जिसमें से 06 बेरियर जोन में हैं तथा कोई भी पेड काटा नहीं जावेगा।

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरम-16,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.44 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.92 लाख प्रति वर्ष ।
3. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बैरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल कैड़ी में फर्नीचर बीस नग बेंच एवं डेस्क) एवं दो अलमारी	60,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1260 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, चिरोल, बबूल, सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	760
2	परिवहन मार्ग ऊचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	नॉन माइनिंग जोन	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	400

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. **Case No 10994/2023 Shri Bhupendra Singh R/o Ward No. 2, Gram Pipalya Nankar, Tehsil Susner, District Shajapur , MADHYA PRADESH, 465447. Prior Environment Clearance for Stone & M.Sand Quarry in an area of 2.00 ha.(Stone 9086 and M.Sand 6006 cum per year) (Khasra No. 483), Village-Kalariya Tehsil-Sushner, District-Shajapur (MP) [454121] (B2)**

प्रस्तावित **Stone** खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/24 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Bhupendra Singh online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri BHUPENDRA SINGH, LEESSEE, Ward No 2, Gram Pipalya Nankar, Post- Tehsil Susner, Jila Shajapur, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	483 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village – Kalariya, Tehsil – Susner, District- Agar Malwa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 821 दिनांक 09/10/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-9,086 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड-6,006 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-9,086 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड-6,006 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 934 दिनांक 28/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

	कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 934 दिनांक 28/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 934 दिनांक 28/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कलारिया जिला आगर मालवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 15/08/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि लीज क्षेत्र में बबूल की झाड़िया हैं
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- खदान क्षेत्र से केनाल लगभग 370 मी. पर है।
	पश्चिम दिशा- जल निकाय क्षेत्र लगभग 500 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 858 दिनांक 16/10/23 अनुसार उक्त खदान नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-9,086 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड-6,006 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20.26 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.52 लाख प्रति वर्ष।

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. लीज क्षेत्र शासकीय भूमि पर है अतः पूर्व दिशा में स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर स्थानिय घास प्रजाती कि बीज वर्षा के पूर्व लगाये जावे।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल कलारिया में 1 कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रिन्टर टेबल के साथ एवं 1 अलमारी	60,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, कस्टार, जंगल जलेबी बॉस, चिरोल, सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1400
2	परिवहन मार्ग ऊर्चाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	कस्टार, जंगल जलेबी चिरोल, नीम, पीपल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
	शास. अंकुर योजना के तहत कलारिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविक्त व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

16. **Case No 10995/2023 Shri Shailendra Solanki, R/o Khandwa Road, Sanawad, District Khargone , MADHYA PRADESH, 451111, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(22116 cum per year) (Khasra No. 156/1, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2), Village-Kundi Tehsil-Barwaha, District-Khargone (MP) [450278] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित Stone खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Shailendra Solanki online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SHAILENDRA SOLANKI, Lessee, R/o- Khandwa Road Sanawad, District-Khargone (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	156/1, 157/1, 157/2, 158/1 & 158/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक को भू-स्वामियों की सहमति प्राप्त है) 2.00 hectare.
स्थल	Village- Khudgaon, Tehsil- Sanawad, and District- Khargone (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1312 दिनांक 10/03/17 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगोन के पत्र क्रमांक 192 दिनांक 23/05/17 के द्वारा पत्थर-22,116 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-22,116 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-22,116 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1408 दिनांक 12/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1408 दिनांक 12/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1408 दिनांक 12/10/23 अनुसार लगभग 110 मीटर पर नहर

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

	स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खुड़गांव जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-11 दिनांक 08/06/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत की सहमति प्राप्त है ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा- नहर लगभग 114 मी. एवं कच्चा रोड लगभग 15 मी. 50 मी. तक का क्षेत्र नॉन माईनिंग छोड़ा गया है । दक्षिण दिशा- फैक्ट्री लगभग 30 मी. एवं दक्षिण पूर्व दिशा- शेड लगभग 158 मी. उक्त संबंध में परियोजना प्रस्ताव में बताया की निर्धारित सेडबैक छोड़ने के पश्चात् लगभग 1.10 है. क्षेत्र खनन योग्य शेष बचता है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के एजेक्जर-आर.1 के के सरल क्रमांक-40 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया की उनके द्वारा नॉन ब्लारिस्टिंग का माईनिंग प्लान रीजनल हेड, डी.जी.एम. से पत्र क्रमांक- दिनांक 6/03/24 के द्वारा संशोधित करा लिया गया है ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	आशिक पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये एवं 150 पेड़ बांटे गये ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	स्कूल एवं आंगनवाडी में कराये गये कार्यों के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-22,116 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.50 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.39 लाख प्रति वर्ष ।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
4. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
1. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रु. में
आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 03 माह के भीतर जमा की जावेगी।	80,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	आवलाँ, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	910
2	गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	आवलाँ, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	100
3	परिवहन मार्गमें	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री-गार्ड के साथ	150
4	ग्राम के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण-	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	50
5	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1190
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

17- Case No 10996/2023 Shri Bhupendra Tomar, R/o 303/k, Gayatri colony Bediya, Tehsil Sanawad, District Khargone , MADHYA PRADESH, 451113, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha.(25710 cum per year) (Khasra No. 105, 149/1, 149/2, 147/1, 150, 151/1), Village-Kalbarar Tehsil-Sanawad, District-Khargone (MP) [454089] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित **Stone** खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 18/03/24 को परियोजना प्रस्तावक **Shri**

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

Bhupendra Tomar online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri BHUPENDRA TOMAR, Lessee, R/o- 303/k Gyatri Colony Bediya, Tehsil-Sanawad, District- Khargone (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	149/1, 149/2, 147/1, 150, 151/1, 105 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड कुछ खसरे परियोजना प्रस्तावक स्वयं के हैं और एक अन्य भू-स्वामी है, जिनकी भी सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	4.00 hectare.
स्थल	Village Kaalbarad, Tehsil Sanawad, District Khargone (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक .800 दिनांक 20/12/15 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगोन के पत्र क्रमांक 55 दिनांक 30/05/16 के द्वारा पत्थर-25,710 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट / डिया से सिया/क्षमता विस्तार ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-25,710 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-25,710 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 18/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 18/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 18/10/23 अनुसार 300 मीटर की दूरी पर माइनर नहर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गलगॉव जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 15/08/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।	

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा- पक्का रोड लगभग 25 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के एजेक्जर-आर.1 के सरल क्रमांक-31 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लॉस्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लॉस्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

18. Case No 11061/2023 Shri Kailash Raghuvanshi, Director, M/s Raghu Premsar Mundla Highways Private Limited, R/o 381, Main Road, Durga Nagar, District-Vidisha (MP)-464001. Prior Environment Clearance for Alapura Stone Quarry in an area of 1.750 ha. (225000 cum per year) (Khasra No. 256), Village-Alapura, Tehsil-Badoda, District-Sheopur (MP) [453157] (B2)- T.P.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 18/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Kailash Raghuvanshi, Director, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Kailash Raghuvanshi, Director, M/s Raghu Premsar Mundla Highways Private Limited, R/o 381, Main Road, Durga Nagar, District-Vidisha (MP)-464001, Prior Environment Clearance for Alapura Stone Quarry in an area of 1.750 ha. (2,25,000 cum per year) (Khasra No. - 256), Village-Alapura, Tehsil-Badoda, District-Sheopur (MP) [453157] (Temporary Permit)
परियोजना का खसरानं./ लीज क्षेत्रफल	खसरानं.-256, एरिया-1.750ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village-Alapura, Tehsil-Badoda, District-Sheopur (M.P.),
Description of Project	It is a Temporary Permit Stone Quarry with a production capacity of 2,25,000 m ³ /year Gitti having a lease area of 1.750 hectares at Khasra No. 256 (Govt. land) Village - Alapura, Tehsil- Baroda, District-Sheopur (M.P.)
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 782 दिनांक 27/01/2023.

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

परियोजना की श्रेणी	बी-2.
खनन कार्यब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	Method of mining without blasting with the help of Rock Breaker will be adopted and all working will be done strictly according to Metalliferous Rule 1961(As per Mine Plan Page no. – 16).
डिया द्वाराजारीई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	● स्टोन-2,25,000 घनमीटर/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- श्योरपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक12960दिनांक02/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंअन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं है, जिनका मिलाकर कुल रकबा1.750हे. होताहै, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आताहै।
परियोजना के संबंध मेंडीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- श्योरपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक12960 दिनांक 02/11/2023अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिवजोन जैवविविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थितनहींहै।
परियोजना के संबंध राजस्वजानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- श्योरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक12960 दिनांक 02/11/2023अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत / नगरपरिषद्	ग्राम पंचायत-अलापुरा जिला- श्योरपुर का ठहराव प्रस्ताव क्र. 03दिनांक07/11/2022 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावितस्थलपर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	Tree existing - 02 Tree Felling - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसारस्थिति(यदिसेटबैकआवश्यक हो)	पूर्वदिशा- पक्का रोड लगभग 105 मी. एवं मकान 98 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि ,खनन कार्य मे ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। पश्चिम दिशा- जल निकाय क्षेत्र लगभग 120 मी.
जल / वायुसम्मतिवैद्यता	CTE will be applied after getting Environmental Clearance as it is a fresh Quarry Lease.
जिलासर्वेक्षणरिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- श्योरपुर के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक12960 दिनांक 02/11/2023 अनुसार अवगत कराया कि उक्त खदान इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अद्यतन कर लिया जावेगा।

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान को अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित है एवं परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा भू-अभिलेख शाखा के वेबसाइट पोर्टल से वर्ष 2023-2024 पी 2 खसरा प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त भूमि शासकिय दर्शायी गयी है एवं अन्य किसी का आवंटित होना नहीं पाया गया है अतः समिति का अभिमत है कि भूमि पर अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा विधि अनुसार निर्णय लिया जावे।
है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूकी प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **स्टोन-2,25,000 घनमीटर/वर्ष**।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.01 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.93 लाख प्रतिवर्ष।
3. प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण खनन वर्ष के प्रथम तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी जावे।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु०. में)
ग्राम अलापुरा के स्थानीय विद्यालयों एवं आँगनवाड़ी विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि 3 माह के भीतर जमा करी जावेगी	1,50,000/-
आयुष्मान आरोग्य मंदिर मंडल अलापुरा में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 03 माह के भीतर जमा की जावेगी।	1,00,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमानुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्षतकमृतपौधों का बदलावतथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

1	बैरियरजोनमें	खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	540
2	परिवहनमार्गमें	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री-गार्ड के साथ	100
3	ग्राम के अलापुर शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण	पीपल, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, कचनार, नीम आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	50
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1410

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. **Case No 10710/2023 Shri Akhil Birthare, Executive Engineer, O/o Executive Engineer, Water Resources Division No. 1, Collectorate, District-Sagar, (MP)-470001, Prior Environment Clearance for Sarkula Apchand Medium Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 597.55 ha. [4830 ha CCA] at Village-Abchand, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) [442654]**

This is a case of Prior Environment Clearance Sarkula Apchand Medium Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 597.55 ha. [4830 ha CCA] at Village-Abchand, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) . The project requires prior EC before commencement of any activity at site under category 1(c).

The case was presented by the Mr. Yamesh Sharma, Env. Consultant from M/s. EQMS India Pvt. Ltd. Delhi. along with PP's Shri Akhil Bilthare O/o Executive Engineer, Water Resources Division No. 1, Collectorate, District-Sagar in the SEAC 701st meeting dated 15.12.2023. Wherein after presentation the committee asked to PP to submit following clarification details for further consideration of the project:

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

1. Ecological damage study wrt flora and fauna and tree felling .
2. Soil conservation plan.
3. Calculate the Ecoservice System & its remediaton plan.
4. Catchment improvement plan.
5. Biodiversity conservation plan regarding flora & fauna, approved by the District Biodiversaty Board.
6. Calculate the carbonfoot print include all componants.
7. Wild life conservation plan which shall be approved from district level authority as Schedule –I species are occurring in the project area.
8. To protect or minimization of seepage towards habitation side, hence management Plan shall be submitted .
9. The GoI’s policy for benefit cost ratio shall be submitted.
10. Furnish total quantity of fertile top soil of farmer’s agriculture fields shall be used.
11. Classification-wise land details of forest, private and revenue land.
12. Study shall be carried out from the competent agency to ascertain that the soil to be utilized for construction of dam is good quality or not?
13. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources and their management plan w.r.t. carbon foot print.
14. Need based CER scheme as suggested by the committee.
15. Muck disposal and management plan.

The project proponent submitted clarification replied online on PARIVESH Portal dated 1.3.2024 which was asked by the SEAC in the SEAC 701st meeting dated 15.12.2023. Hence, the case was scheduled for presentation in this meeting.

The query reply was presented by the Mr. Yamesh Sharma online, Env. Consultant from M/s. EQMS India Pvt. Ltd. Delhi. along with PP Shri R.S Dhurve O/o Executive Engineer, Water Resources Division No. 1, Collectorate, District-Sagar. PP submitted following information about the project :-

- Apchand Irrigation project (CCA 4830 ha) is proposed on Gadheri river near Apchand village in Block and District Sagar for Rabi Irrigation in 20 villages in Garhakota Tehsil (Wheat:3030 ha & Gram: 1800 ha). The site is 30 km distance from Sagar and approachable by road (SH-14).

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

- The project envisages construction of a composite dam (Max height : 19.50m); central ogee shaped gated spillway with 20m non-overflow dam section on either side and a saddle dam, maximum height 13.54m. Irrigation through 7.5 km long gravity main and gravity minor pipe network. The cost of project is Rs 16266.51 lakhs only and shall be completed in 3 years.
- Total land requirement is 597.55 ha of which the forest, revenue and private land shall be 181.39 , 55.75 and 360.41 ha respectively. First stage forest clearance accorded.
- Four villages shall be affected due to acquisition of land (Displaced Families:84).
- No National Park, Sanctuary, Defense Establishments and Archeological Monuments, exists within 10 km from project. It is located in seismic zone-III .

Point-1:The ecological damage due to the project shall be:-

- Loss of forest land (181.39ha with density of 0.3 having Eco class 3 A).
- Eco-system services losses due to forest diversion.
- Loss of 241 standing trees in forest land and 2369 in non-forest land shall cause release of the stored carbon in the form of carbon dioxide on burning or decay.
- Loss of animal husbandry productivity including loss of fodder.
- Habitat fragmentation.

Ecological Damage Study w,r.t flora and fauna and tree felling

S.N.	Parameters	MoEF Guidelines for forest land diversion,2017	Calculation	Total loss (Rs lakh)
1	Eco-system services losses due to proposed forest diversion	Economic value of loss of eco-system services due to diversion of forests shall be NPV of forest land being diverted	NPV of 181.39 ha forest land (eco-class 3. Density 0.3) to be diverted@ Rs 957780/ha=Rs1737.32 lakh	1737.32
2	Loss of animal husbandry productivity including loss of fodder	To be quantified and expressed in monetary terms or 10% of NPV applicable, whichever is maximum	(i) 181.39 x Rs10000/ha =Rs 18.14 lakh (ii) 10% of Rs 1737.32 lakh=Rs 173.73 lakh. (Max. of two is adopted)	173.73

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

3	Habitat fragmentation cost	While the relationship between fragmentation and forest goods and services is complex, for the sake of simplicity the cost due to fragmentation has been pegged at 50% of NPV applicable as a thumb rule.	50% of Rs 1737.32 lakh =Rs 752.17 lakh	868.66
Total				2779.71

ADS Point-2: Soil Conservation Plan

Soil Conservation plan, encompassing, measures like check dams, wire crate check dams for stream bank stabilization, soil and water regime improvement works and contour bunding under different sub-watersheds has been provided in the Table.

No of SWS	DRSM check dam @ Rs. 0.24 lakh each		Wire Crate Check Dam @ Rs. 0.53 lakh each		Soil water regime improvement works @ Rs 2.5 lakh each		Contour Bunding (03mxo.3m) @Rs0.06 lakh/ha		Total Cost (Rs. lakh)
	No.	Cost	No.	Cost	No.	Cost	ha	Cost	
2C1F6(1)	28	6.72	6	3.18	3	7.50	100	6.00	23.40
2C1F6(2)	12	2.88	4	2.12	1	2.50	0	0.00	7.50
Total	40	9.60	10	5.30	4	1000	100	6.00	30.90

ADS Point-3: Calculate the Ecoservices System and its Remediation Plan.

Harpinder Sandhu *et al* conducted a systematic literature review of publications between 1990 and 2020 to develop an ecosystem services valuation database for India. They used the value transfer method to estimate the economic value of ecosystem services associated with commons in India. Based on the outcome of this study the evaluation of ecosystem services provided by the portion of forest land proposed to be diverted has been calculated. Economic value of ecosystem services.

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

Economic Value of Ecosystem Services

S.N.	Ecosystem Services	Economic value (Rs/ha/year)	Economic value of ecosystem services provided by forest land to be diverted (Rs/year)
A	Provisioning		
(i)	Fuelwood	4474	811610.87
(ii)	Food	5781	1048674.00
(iii)	Timber	2345	425314.57
(iv)	Fodder	64	11658.84
(v)	Livelihood	72	13057.90
	Sub total	12737	2310316.18

S.N.	Ecosystem Services	Economic value (Rs/ha/year)	Economic value of ecosystem services provided by forest land to be diverted (Rs/year)
B	Regulating Services		
(i)	Pollination	297	53941.58
(ii)	Climate regulation	115	20830.46
(iii)	Soil erosion prevention	19	3419.93
(iv)	Air purification	2793	506615.56
(v)	Water conservation	485	87985.40
(vi)	Biological control	145	26271.26
(vii)	Carbon sequestration	6802	1233816.41
	Sub total	10656	1932880.60
C	Supporting		
(i)	Habitat for species	2096	380233.71
(ii)	Nutrient cycling	584	106017.74
(iii)	Grazing benefits	141	25649.45
	Sub total	2821	511900.90
D	Cultural		
(i)	Religious & Sacred value	368	66688.58

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

	Sub total	368	66688.58
Grand Total		26582	48,21,786.26

For ecosystem services improvement and for conservation of forests and enhancement of forest carbon stocks and improving the livelihoods of the local community following remediation plans have been prescribed in the EMP as mitigation measures

REMEDIATION PLANS

S.N.	Name of Plan	Provision	Cost of Plan (Rs lakh)	Reference
1	Compensatory Afforestation	Raising compensatory afforestation in 184.586 ha and payment of NPV of forest	2810.00	Sec.10.2
2	Green Belt	Planting of 13200 trees on reservoir periphery (12ha @1100 saplings/ha besides avenue plantation with 300 plants.	31.00	Sec.10.4
3	Catchment Area Treatment	The plan <i>inter alia</i> includes normal plantation in 5ha @1100 plants/ha with total 5500 trees and gap plantation @500 plants/ha in 40ha (Total tree 25500)	142.35	Sec.10.5

ADS Point-4: Catchment improvement Plan

S. No.	Particulars	Amount (Rs. Lakh)
1.	Habitat treatment works under free draining catchment	
(a)	Normal afforestation (5 ha @ Rs. 200000/ ha)	10.00
(b)	Enrichment Plantation (50 ha @ Rs. 140000/ ha)	70.00
	Sub- total (1)	80.00
2.	Soil and water conservation measures	
(a)	DSRM check dam (40 no. @Rs 24000/ha each)	9.60

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

(b)	Wire crate check dam (10 no. @ Rs 53000/each)	5.30
(c)	Soil water regime improvement works (4 @Rs 250000 each)	10.00
(d)	Contour Bunding(100ha@6000/ha)	6.00
	Sub- total (2)	30.90
3.	Private land treatment	
(a)	Horticulture development (3 ha @ Rs150000/ha)	4.50
(b)	Bench terracing (250 ha @ Rs6000/ha)	15.00
	Sub- total (3)	19.50
4	Other Components of CAT Plan	
(a)	Training and Extension Programme	0.50
(b)	Provision for Micro Plan	0.75
(c)	Documentation	0.60
(d)	Mobilizing user groups	0.50
(e)	Provision for floristic survey and forestry research	1.00
(f)	Provision for Monitoring and Evaluation Activities	2.00
(g)	Provision for providing Environmental Services	5.60
(h)	Forest Protection	1.00
	Sub- total (4)	11.95
	Grand Total.	142.35

प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति में परियोजना प्रस्तावक को निम्नजानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये

- Economic value of Eco- system** के अन्तर्गत जो आईटम शामिल किये गये है उनकी **value Rs/Ha./Year** में दर्शाई गयी है जिसकी गणना सही प्रतित नहीं होती अतः इसका रिफरेंस प्रस्तुत करे साथ ही जिले के वन विभाग कि कार्य योजना से तुलना करते हुये **Economic value of Eco- system** की जानकारी प्रस्तुत करें।
- Carbon trading value** के अन्तर्गत जो भी आईटम शामिल किये गये है इसका रिफरेंस प्रस्तुत करे।
- CAT Plan** लगभग 61 कि.मी. है जिसमें सीवियर इरोसन लगभग 40 है. दर्शाया है इस विषय में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की क्या गाईड लाईन है प्रस्तुत करें।
- CAT Plan** के अन्तर्गत यदि भूस्वामी कि सहमती हो तो तलाव निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- Catchment improvement plan** में यह स्पष्ट नहीं है कि किसके माध्यम से प्रस्तावित गातिविधियां करायी जावेगी।

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

6. राजस्व, वन भूमि स्वामी की भूमि हेतु **CAT Plan** वन विभाग से अनुमोदित कराकर अलग-अलग प्रस्तुत करें।
7. प्रस्तावित पौधा रोपण जानकारी नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
8. **Biodiversity and Wildlife Conservation plan** मे कई गतिविधियाँ ऐसे बतायी गयी है जो बायोडायवर्सिटी से संबंधित नहीं है अतः स्थान विशेष का प्लान नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
9. बायोडायवर्सिटी समिति के सुझाये अनुसार सागर विश्वविद्यालय कि पहाडियों पर बायोडायवर्सिटी कार्य करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
10. **Carbon footprint** के अन्तर्गत पेड काटने के फलस्वरूप कितना कार्बन फुटप्रिन्ट निर्मित होगा कि जानकारी प्रस्तुत करें।
11. **Dam** से होने वाले सीपेज , मृदा एवं डैम की लाईफ को ध्यान मे रखते हुये **R&R** कि जानकारी प्रस्तुत करें।
12. **Wildlife Conservation plan** को **Biodiversity Plan** के साथ दर्शाया है दोनो प्लानो को अलग-अलग प्रस्तुत करें।
13. **CER Plan** में संरक्षण हेतु समिति के सुझाये अनुसार 10.0 लाख रूपये का प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों के साथ सामिल करें।
14. भारत सरकार कि कॉस्ट बैनिफिट पॉलिसी प्रस्तुत करें।
15. प्रस्तावित परियोजना से लगभग 54601 घन मी. टाप स्वाईल उत्पन्न होगी जिसमे से लगभग 5180 घन मी. डैम के स्लोप पर स्टेमाल होगी। शेष लगभग 50000 घन मी. किसानो के लिये उपलब्ध होगी। यदि किसान टाप स्वाईल कि पूरी मात्रा नहीं ले जाना है तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी।
16. Submit proper area statement regarding Forest land/ Private land/ Revenue land with CAT plan approval from competent authorities etc.
17. Total project cost of the project is proposed as 3.2 Crore hence, submit proper CER with appropriate budget of CER of 2% of project cost.
18. Muck management plan with financial implication in the EMP.

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र –

19. **Case No. P2/21/2024, Case No 10328/2023 , Case No 10768/ 2023, P2/14/2024 , Case No. 6322/19, Case No 10637/2023, Case No 10725/2023, Case No 10730/2023, Case No 10442/2023, Case No 10443/2023 & Case No 10958/2023.**

समिति के संज्ञान में आया कि उपरोक्त उल्लेखित प्रकरणों में समिति की पूर्व बैठकों में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसके अंतिम पैरा मे **प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा उल्लेखित हो गई है।**

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की बैठकों में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा के स्थान पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा पढ़ी जावे, शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

20. Case No 10737/2023 Shri Praveen Rathod, Lessee, Village-Pisnaval, Jhopali, District-Barwani (MP)-451666, Prior Environment Clearance for Pisnawal Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (M-Sand-4000, Stone-3000 cum per year) (Khasra No. 397), Village-Pisnaval, Tehsil-Sendhwa, District-Barwani (MP) [DEIAA]

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 723वीं बैठक दिनांक 16/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें खनन योजना पेज 13 पर गिट्टी 300 घनमीटर/वर्ष एवं एमसेन्ड 4000 घनमीटर/वर्ष का उल्लेखित हो गया है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 723वीं बैठक दिनांक 16/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित खनन योजना पेज 13 पर गिट्टी 300 घनमीटर/वर्ष एवं एमसेन्ड 4000 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर खनन योजना पेज 13 पर गिट्टी 3000 घनमीटर/वर्ष एवं एमसेन्ड 4000 घनमीटर/वर्ष पढ़ा जावे, शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

21. Case No. P2/23/2024 Shri RAJPAL RATHORE Lessee R/o- Village- Gunakhedi, Tehsil- Makdon, District- Ujjain, M.P Prior Environment Clearance for Kanja Murrum Quarry in an area of 2.00 ha. (7000 cum per year) (Khasra No. 338), Village-Pipalyakalan, Tehsil-Agar, District-Agar Malwa (MP) .

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 724वीं बैठक दिनांक 17/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें गूगल इमेज कॉलम में दक्षिण पश्चिम दिशा – संरचना लगभग 188 मी. उल्लेखित हो गया है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 724वीं बैठक दिनांक 17/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कार्यवाही विवरण के गूगल इमेज कॉलम में दक्षिण पश्चिम दिशा – संरचना लगभग 188 मीटर के स्थान पर पश्चिम दिशा – संरचना लगभग 288 मीटर पढ़ा जावे, शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

22. Case No. P2/03/2023 Shri HARSH TRIVEDI, Lessee, Jetapur sanawad road khargone, Prior Environment Clearance for Idaratpura Murrum Quarry in an area of 1.902 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 477/1, 477/5 & 476/2), Village-IDARATPUR, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP)

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 722वीं बैठक दिनांक 15/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसके बिंदु क्रमांक-2 में "खदान क्षेत्र में 23 पेड है जिनमें से 15 पेड काटे जाना प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक पेड काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे एवं जिस प्रजाति के पेड काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त 270 पेड लगाये जाना उल्लेखित हो गया है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 722वीं बैठक दिनांक 15/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कार्यवाही विवरण के बिंदु क्रमांक-2 में खदान क्षेत्र में 23 पेड है जिनमें से 15 पेड काटे जाना प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक पेड काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे एवं जिस प्रजाति के पेड काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त 150 पेड लगाये जाना पढ़ा जावें, शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

23. Case No P-2/58/2024 Shri Kamlesh Parmar, Lessee, Shahpurkodiya, Tehsil - Sehere, District -Sehere, MP. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 4.00 ha. (Stone & 35550) (Khasra No. 10) village Dhaboti, Tehsil Sehere, District Sehere (M.P.) B-2.

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 725वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसके बिंदु क्रमांक-3 एवं अन्य पैरा में खनन कार्य मात्र 1.13 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है, में ही खनन किया जावेगा उल्लेखित हो गया है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 725वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कार्यवाही विवरण के बिंदु क्रमांक-3 एवं अन्य पैरा में खनन कार्य मात्र 1.13 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है, में ही खनन किया जावेगा के स्थान पर खनन कार्य मात्र 2.87 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है, में ही खनन किया जावेगा पढ़ा जावें शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

24. Case No. P2/29/2024 Shri DILIP SINGH, Lessee, R/o-Village-Jarha, Post-Mangwan, Tehsil-Mangwan, District-Rewa (M.P.). Prior Environment Clearance for Sitapur Stone (Gitti) & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-12093, M-Sand-28217 cum per year) (Khasra No. 432), Village-Sitapur, Tehsil-Mauganj, District-Rewa (MP).B-2

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 725वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें स्टोन – 35,550 मी³ प्रति वर्ष उल्लेखित हो गया है जबकि सभी दस्तावेजों में Stone-12093, M-Sand-28217 cum per year होना चाहिए ।

**730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024**

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 725वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित स्टोन – 35,550 मी³ प्रति वर्ष के स्थान पर Stone-12093, M-Sand-28217 cum per year पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

25. Case No 9837/2023 Smt. Kaushilya Singh, Lessee, Village-Phulwari, Post-Pondi Naugai, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)-486886, Prior Environment Clearance for Phulwari Stone Quarry in an area of 1.650 ha. (39,960 Cum per annum) (Khasra No. 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 266/1) Village-Phulwari, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli. EIA

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 725वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें त्रुविवश निम्नानुसार अंकित हो गया :-

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.37 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रू. में)
ग्राम तेलियाथाड़ के शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि भूप्रवेश के 03 माह के अंदर जमाकरी जावेगी	70,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2220 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम आंवला, मुनगा हाइब्रिड सीता फल, गुआवा, कटहल अचार आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	575
2	उत्खनि पट्टा में उपलब्ध गैर खनन क्षेत्र में	आमआंवला, मुनगाहाइब्रिडए सीताफल, गुआवा, कटहलअचारआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	100
3	परिवहन मार्ग में (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्बइत्यादिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	150

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1345
5	ग्राम तेलियाथड में स्थित ग्राम पंचायत में ट्री-गार्ड के साथ	कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे, अन्य शेष शर्तें यथावन रहेंगी :-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.88 लाख प्रति वर्ष।
- सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
ग्रामफुलवारी के ग्रामीणों के लिए रोगी कल्याण समिति व संरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में 3 माह के अंदर फण्ड ट्रांसफर कर दिया जावेगा	1,00,000

- निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2050 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियर जोन के अंतर्गत	कालासिरिस, आमला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	600
2	परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण	नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	200
3	पास के गाँव में पौधों का वितरण	आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1250
कुल			2050

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 मार्च 2024

26. **Case No 10273/2023 Shri Narendra Singh Maan, Partner, M/s Trimurti Enterprises, 190, Ajaybag Colony, District-Indore (MP)-452001 Prior Environment Clearance for Pipalkhut Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-15,0000 cum per year M&Sand-25,000 cum per year) (Khasra No. 13/5), Village- Pipal Khut, Tehsil-Mhow, District-Indore (MP)**

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 729वीं बैठक दिनांक 06/03/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें पत्थर-40000 घनमीटर/वर्ष उल्लेखित हो गया है जबकि अनुमोदित खनन योजना में Stone-15,0000 cum per year M-Sand-25,000 cum per year होना चाहिए ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 729वीं बैठक दिनांक 06/03/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित पत्थर-40000 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर Stone-15,0000 cum per year M-Sand-25,000 cum per year पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

27. **Case No. 1301/2013 Shri Purusotam Patidar, M.G Road Anjad, Teh.-Anjad, Dist.-Badwani (M.P.) Pin Code. 451556 Environment Clearance for approval of 0.95 Hectares Stone/Boulder Quarry at Vill.-Palasiya, Teh.-Anjad, Dist.-Badwani (M.P.)- EC AMENDMENT.**

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 729वीं बैठक दिनांक 06/03/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित समाजिक कार्य 0.80 लाख रुपये उल्लेख हो गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक ने समाजिक कार्य 0.50 लाख प्रस्तावित किया है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 729वीं बैठक दिनांक 06/03/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित समाजिक कार्य 0.80 लाख के स्थान पर समाजिक कार्य 0.50 लाख पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।


(**र.प.मिश्रा**)
सदस्य सचिव


(**डॉ. पी.सी. दुबे**)
अध्यक्ष

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yeears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

730वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च 2024

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम उतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे